राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–F4(ई)(1)(6) / क.ले.प्रशिक्षण / अलेसे–III / 2551 दिनांकः– 22-11-2018

प्रेषितः–

समस्त कोषाधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा–2013 के माध्यम से चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को जिला स्तर पर दिये गये दो सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण एवं ह.च.मा. राजस्थान राज्य, लोक प्रशासन संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले संस्थानिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना भिजवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा–2013 द्वारा चयनित व नवपदस्थापित कनिष्ठ लेखाकारों को जिला स्तर पर सम्बन्धित दो सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जिन कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा जिला स्तर पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हैं, उन्हें आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ह.च.मा. राजस्थान राज्य, लोक प्रशसान संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रो पर भिजवाया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कोषालय के अधीन कार्यरत जिन कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा दो सप्ताह का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिनांक 31.10.2018 तक प्राप्त नहीं किया गया है, उनकी सूची संलग्न प्रारुप (अनुलग्नक–अ) तथा जिनका आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण ह.च.मा. राजस्थान राज्य, लोक प्रशासन संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रो पर नहीं दिया गया है, उनकी सूची संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक–ब) में निदेशालय को पाँच दिवस में भिजवाने का श्रम करावे ताकि उनको दो सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण एवं आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मनोनित किया जा सके।

प्रारुप (अनुलग्नक–अ)

दिनांक 31.10.2018 **तक दो सप्ताह का जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये गए कनिष्ठ लेखाकारों की सूची :–**

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	मेरिट सं. व वर्ष	लिंक नं.	पदस्थापन कार्यालय का नाम एवं जिला	प्रशिक्षण की भावी योजना के सम्बन्ध में टिप्पणी
1					
2					
3					
4					
5					

प्रारुप (अनुलग्नक–ब)

दिनांक 31.10.2018 तक ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के केन्द्रों पर आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नही करने वाले कनिष्ठ लेखाकारों की सूची :–

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	मेरिट सं. व वर्ष	लिंक नं.	पदस्थापन कार्यालय का नाम	क0ले0 पद पर नियुक्ति तिथी
1					
2					
3					
4					
5					

कृपया उपरोक्त सूचना पत्र प्राप्ति के पाँच दिवस की अवधि में निदेशालय को भिजवाने का श्रम करावें। ताकि दो सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण से तथा आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण से वंचित रहे है कनिष्ठ लेखाकारों को भी समय पर वांछित प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। तथा उक्त सूचना सॉफ्ट कॉपी में jacct.dta@rajasthan.gov.in पर भी मेल कराया जाना सुनिश्चित करें।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

प्रतिलिपिः–

1. समस्त नवनिगुक्ति कनिष्ठ लेखाकार बैच–2013 को भेज कर लेख है कि जिन कनिष्ठ लेखाकारों ने दो सप्ताह का जिला स्तरीय आधारभूत प्रशिक्षण तथा आठ सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वे अपना नाम, मेरिट नं ,लिंक नं. तथा पदस्थापन कार्यालय अपने जिले के कोषाधिकारी के पास तीन दिवस में दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही निदेशालय को भी तीन दिवस में सूचित करना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)